Office : 0612-2630903 (O)
E.-mail ID : arri.patna@gmail.com, arri-patna@gov.in

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान

(केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
अगमकुआँ, पटना – 800007 (बिहार)

REGIONAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE

(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)
AGAM KUAN, PATNA-800007 (Bihar)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

विज्ञापन सं : 02/2021–22

फा.सं.09–11/आरएआरआई/आरसीएच/पटना/ दिनांकः 16.06.2021

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, आर.एम.आर.आई. बिल्डिंग "डी ब्लॉक", अगम कुआँ, पटना–800007 में टी.एच.सी.आर.पी. परियोजना, SCSP एवं आर.सी.एच. परियोजना, पटना के लिए निम्नलिखित पद हेतु उनके सम्मुख दी गई दिनांक को अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार किया जाना है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए संबंधित दिनांक को अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रातः 09:30 बजे उपस्थित होना है, विवरण निम्नलिखित है।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता विवरण	चयन आधार, दिनांक एवं समय	पारिश्रमिक भुगतान राशि
1.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (आयु.) **टी.एच.सी.आर.पी. परियोजना, पटना**	02	**आवश्यक / Essential :** • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में ज्ञान, एम.एस. ऑफिस आदि। • बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण करने के पश्चात् लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि से पूर्व इन्टर्नशिप पूरी कर ली हो। **वांछनीय / Desirable** • वरीयता उन लोगों को दी जाएगी जो उच्च योग्यता रखते हैं या जिनके पास पिछला शोध अनुभव यथा आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएसटी या समकक्ष संगठन द्वारा वित्त पोषित किसी भी अनुसंधान परियोजना के लिए कार्य किया हो। • कम्प्यूटर अनुप्रयोग में ज्ञान, एम.एस. ऑफिस आदि। **आयु सीमा : 35 वर्ष**	**04.07.2021** उपस्थिति समय : 09:30 A.M. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार	35,000 + एच.आर.ए. प्रतिमाह (नियमानुसार)
2.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (आयु.) **आर.सी.एच. परियोजना, पटना**	02			
2.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (आयु.) **एस.सी.एस.पी. परियोजना, पटना**	02			

शर्ते एवं नियमः

1. पदों से संबंधित योग्यता एवं आयु सीमा वाले इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रोफार्मा में पद के समक्ष अंकित तिथि में अपना आवेदन लेकर प्रस्तुत होयें। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उसी दिन साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहना होगा। बायोडाटा का नमूना (Format) परिषद् की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में किसी भी प्रकार का संशोधन–सूचना परिषद् की बेबसाईट www.ccras.nic.in पर ही अपलोड की जाएगी।

2. साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को सत्यापन हेतु अपने शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र आदि एवं सभी कागजातों की एक सेट छायाप्रति स्व–अभिप्रमाणित (self-attested) तथा हाल ही का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ प्रातःकाल 09:30 से 10:30 बजे तक संस्थान में रिपोर्ट करें। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को अनुमति नही दी जायगी।

3. उम्मीदवार की आयु गणना दिनांक 01.07.2021 तक की जायेगी। एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवार को भारत सरकार के सेवा नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा।

Next - Page-2

4. टी.एच.सी.आर.पी. परियोजना में चयनित उम्मीदवार को अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के अन्तर्गत चयनित गावों का दौरा करना होगा एवं आर.सी.एच. परियोजना में चयनित उम्मीदवार को पटना जिला के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

5. उक्त पदों पर भर्ती 06 माह के लिए की जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जिसे नियोक्ता के कार्य–प्रर्दशन के आधार पर सेवा अवधि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा तथा परियोजना कार्य के साथ को–टर्मिनस है अर्थात परियोजना की समाप्ति के साथ स्वतः ही कार्य अवधि समाप्त हो जायेगी।

6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं संविदा आधार पर होगी। भविष्य में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा।

7. चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

8. चयनित अभ्यर्थी पद को छोड़ने से पहले 1 माह पूर्व पटना मुख्यालय के समक्ष नोटिस प्रस्तुत करेंगे।

9. आवेदक को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थिति होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा।

10. विज्ञापन में दिये गये पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।

11. कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थी मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये उपस्थित होयें तथा बिना मास्क के लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

12. चयन समिति को आवेदक की नियुक्ति एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. संस्थान के सहायक निदेशक, प्रभारी द्वारा नियुक्ति शर्तों में संशोधन/नियुक्ति विज्ञापन को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(डॉ. कृष्ण कुमार सिंह)
सहायक निदेशक, प्रभारी